5-12-2020 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली प्रस्तुत होकर दिनांक 05/01/2021 को पेश हो।

05-01-2021 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली प्रस्तुत होकर दिनांक 02/02/2021 को पेश हो।

02-02-2021 पत्रावली पेश हुई। वादी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01(3ख) CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा सं. 156 रकबा 33बीघा 16 बिस्वा व ख०सं. 337 रकबा 1बीघा 07बिस्वा व ख०सं. 350 रकबा 16बिस्वा कुल खसरान तीन कुल रकबा 34बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बालाजी नगर पटवार हल्का नांदिया कलां भू० अ० नि० क्षेत्र नांदिया खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर तथा ख०सं० 354 रकबा 05 बीघा 19बिस्वा ख०सं० 379 रकबा 3बीघा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 2 कुल रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा व ख०सं० 355 रकबा 06 बिस्वा कि० गै०मु० ढाणी ख०सं. 356 रकबा 05 बिस्वा गै०मु० ढाणी कुल खसरे दो कुल रकबा 11बिस्वा वाके ग्राम पंचनिवास पटवार हल्का नांदिया कलां भू०अ० नि० नांदिया खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर में स्थित है उक्त समस्त खातेदारी भूमि में [illegible] पैतृक 1/2 हिस्से की [illegible] बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था जो दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RT Act बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

...वादिनी के घरेलू प्रतिष्ठित महिला हूं। वादिनी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा वाद प्रस्तुत करने के समय वाद को पढ़कर सुनाया नहीं गया तथा वादिनी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में पैरवी करने में असमर्थता जाहिर करने पर वादिनी द्वारा दूसरा अधिवक्ता नियुक्त किया गया जिस पर नये अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र एवं जमाबंदी नकलें इत्यादि रेकर्ड देखने के पश्चात बताया कि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में कुछ पक्षकारों का प्रतिवादी के रूप में संयोजन करना रह गया तथा कुछ प्रतिवादी के नाम भी गलत दर्ज किये गये जिससे भविष्य में वादिनी को आगे दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इस कारण वादिनी द्वारा नये पक्षकारों के संयोजन व कुछ तकनीकियां सुधार करने हेतु मौजूदा वाद एवं प्रार्थना पत्र को विड्रो कर विवादित भूमि के बाबत बँटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का नया दावा पेश करना चाहती है इसके लिये वादिनी के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए अधिकार (खातेदारी भूमि में) को सुरक्षित रखते हुए पुनः नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे तथा इस दावे एवं प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहती है।

वादिनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र O-23 R1(3ख) CPC स्वीकार किया जाकर दावा विड्रो किया जाने का आदेश फरमावे तथा अधिकार [illegible] दावा पेश करने की इजाजत दी जावे।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत [illegible] O-23, R1 (3ख) CPC स्वीकार किया जाकर वादिनी को उक्त खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस वाद को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का आदेश देकर नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं ...

रा.मु.जो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested